# गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

## विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2022 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 आलोक चक्रवाल, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 पी.के. बाजपेयी | सदस्य |
| 3. | प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा | सदस्य |
| 4. | प्रो0 एस.एस. सिंह | सदस्य |
| 5. | प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव | सदस्य |
| 6. | प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर | सदस्य |
| 7. | प्रो0 बी.एन. तिवारी | सदस्य |
| 8. | प्रो0 व्ही.एस. राठौर | सदस्य |
| 9. | प्रो0 डी.एन. सिंह | सदस्य |
| 10. | प्रो0 टी.व्ही. अर्जुनन | सदस्य |
| 11. | प्रो0 ए.एस. रणदिवे | सदस्य |
| 12. | प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा | सदस्य |
| 13. | प्रो0 एम.के. सिंह | सदस्य |
| 14. | डॉ0 एस.के. प्रजापति | सदस्य |
| 15. | प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक) | सचिव |

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :—

1. डॉ0 आर.के. चौबे
2. डॉ0 बी.आर. रावटे

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

**विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.04.2022 एव आपात बैठक दिनांक 02.05.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.04.2022 एव आपात बैठक दिनांक 02.05.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

**विषय क्र. 02 विश्वविद्यालय में Research & Development Council (RDC) के संबंध में समिति का गठन एवं निदेशक नामित किये जाने पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के एजेंडा में लिखे रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट कॉन्सिल को रिसर्च एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेल पढ़ा जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यूजीसी द्वारा जारी शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के स्थापना संबंधी दिशा–निर्देशों को अंगीकृत किया जाय तथा विश्वविद्यालय में पृथक से शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell) की स्थापना की जाय।

24/05/22 24/05/2022

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि यूजीसी से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अधीन रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल के निर्देशक नियुक्त किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि यूजीसी के दिशा–निर्देशों के अधीन रिसर्च एडवाईजरी कमिटि का गठन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि डायरेक्टर रिसर्च एवं डेवलपमेंटस सेल का पद स्वीकृत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया जाय। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि राज्य शासन के समय स्वीकृत डीसीडीसी के पद का यदि डायरेक्टर, रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल के रूप में उपयोग हो सके तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के लिए उप–कुलसचिव स्तर के दो पद पहला प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऑफिसर तथा दूसरा एकेडेमिक ऑफिसर का पद स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करें।

**विषय क्र. 03** **विश्वविद्यालय में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों को अनुसंधान प्रारम्भ करने हेतु बीज धन (Seed Money) प्रदाय किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्थायी समिति के समक्ष हुई चर्चानुसार पुनर्विचार कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवेदन गठित समिति को लौटा दिया जाय।

**विषय क्र. 04** **विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्यापकों/शोध छात्रों द्वारा उल्लेखनीय अध्यापन कार्य एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले अध्यापकों/शोध छात्रों के मूल्यांकन करने हेतु एक फ्रेम वर्क का प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप परीक्षण उपरान्त पुनः प्रस्तुत प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

**विषय क्र. 05** **मशरूम की खेती एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से निधि सृजन प्रस्ताव हेतु स्थान की आवश्यकता (टाइप 1ए भवन) के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर अधिष्ठातागण आगामी बैठक में चर्चा करेंगे एवं यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**विषय क्र. 06** **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 450009 और भारत कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़, 4919881 के बीच समझौता ज्ञापन के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 450009 और भारत कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़, 4919881 के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता करने संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

24/05/22 24/05/2022

**विषय क्र. 07** **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.05.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.05.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किा जाय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

**विषय क्र. 08** **शैक्षणिक कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में नियुक्त किये गये अस्थायी शिक्षकों की सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में नियुक्त किये गये अस्थायी शिक्षकों की सेवा में तीन माह की वृद्धि प्रदान की जाय तथा तीन माह पूर्ण होने के पूर्व यथोचित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तत्समय प्रस्तुत किया जाय।

**विषय क्र. 09** **अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए सीआईएमएफआर, बिलासपुर और रसायन विज्ञान विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया कि अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए सीआईएमएफआर, बिलासपुर और रसायन विज्ञान विभाग के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता करने संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

**विषय क्र. 10** **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के द्वारा प्रस्तावित संशोधित अकादमिक कलेण्डर सत्र 2021–22 एवं प्रस्तावित अकादमिक कलेण्डर सत्र 2022–23 पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के द्वारा प्रस्तावित संशोधित अकादमिक कलेण्डर सत्र 2021–22 एवं प्रस्तावित अकादमिक कलेण्डर सत्र 2022–23 का अनुमोदन किया जाय।

**विषय क्र. 11** **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के द्वारा शोध अध्यादेश में संशोधन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्थायी समिति के समक्ष हुई चर्चानुसार प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव को आगामी अधिष्ठाताओं की बैठक में प्रस्तुत किया जाय एवं संशोधित प्रस्ताव स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

**विषय क्र. 12** **अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यवृत्त दिनांक 05.04.2022 पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यवृत्त दिनांक 05.04.2022 का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे।

**विषय क्र. 13** **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 06.05.2022 के कार्यवृत्त पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 06.05.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

24/05/22

24/05/2022

**विषय क्र. 14** **फार्मेसी विभाग द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश का प्रारूप एवं पाठ्यक्रम पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि फार्मेसी विभाग द्वारा प्रस्तुत VRET प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम के लिए अध्यादेश एवं एम.फार्मा कार्यक्रम के लिए अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

**विषय क्र. 15** **विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के सीटों के युक्तिकरण पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के सीटों के युक्तिकरण के तहत निम्नलिखित कार्यक्रमों की सीटों में परिवर्तन किया जाय :–

| कार्यक्रम का नाम | वर्तमान सीट संख्या | सत्र 2022–23 से लागू होने वाले सीट संख्या |
|---|---|---|
| एम.ए. हिन्दी | 40 | 30 |
| एम.ए. / एम.एससी एन्थ्रोपोलॉजी | 50 | 30 |
| एम.एससी इलेक्ट्रॉनिक्स | 35 | 30 |
| एम.एससी. रूरल टेक्नालॉजी | 35 | 30 |
| बी.कॉम ऑनर्स | 240 | 500 |

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शेष कार्यक्रमों के लिये सीटे शैक्षणिक सत्र 2021–22 के समान ही रहेंगे।

**विषय क्र. 16** **कानूनी इंटर्नशिप प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का निम्नलिखित पैरा को शामिल करते हुए अनुमोदन किया जाय–

"Notwithstanding anything contained here and above, or in case of any dispute the decision/ interprepation of the Vice-Chancellor of GGV shall be final and binding to all."

**विषय क्र. 17** **शोध निर्देशक के संबंध में भ्रम की स्थिति स्पष्ट करने संबंधी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष के पत्र पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण एवं विषय विभागीय शोध समिति से संबंधित है। अतः प्रकरण विभागीय शोध समिति को अंतरित कर दिया जाय।

**विषय क्र. 18** **आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ कार्य योजना की कोर कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022 के कार्यवृत्त / अनुशंसा पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ कार्य योजना की कोर कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022 के कार्यवृत्त / अनुशंसा का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

24/05/22 24/05/2022

**कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव** **कुलपति / अध्यक्ष**